


15 ±  
20

पञ्जाब की सरकार / वकील श्री अनुपमिन्दर /  
मूल वाद क्रम 9 नियम 8 के अन्तर्गत खारिज  
होने के कारण ता 22/2/2018 को खारिज है  
अतः शांति 22/2/2018 को खारिज किया जाता है  
पञ्जाब की सरकार द्वारा गठित है नमस्कार  
के कर दो

  
(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़